

Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (RAO INDERJIT SINGH):

Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Report (Hindi and English versions) of the National Statistical Commission, New Delhi, for the year 2022-2023.
(ii) Action Taken Report (Hindi and English versions) on the recommendations contained in the Annual Report of the National Statistical Commission, New Delhi, for the year 2022-2023.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 990/18/24]

- (3) (i) A copy of the Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Labour Economics Research and Development, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Labour Economics Research and Development, New Delhi, for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 991/18/24]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
(दो) होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 992/18/24]

- (2) (एक) महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन ऑफ साइंस (अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट), पुणे के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

- (दो) महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन ऑफ साइंस (अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट), पुणे के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 993/18/24]

- (3) (एक) अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

- (दो) अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 994/18/24]

- (4) (एक) भारतीय विज्ञान अकादमी, बैंगलूरु के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

- (दो) भारतीय विज्ञान अकादमी, बैंगलूरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 995/18/24]

- (5) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

- (दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 996/18/24]

- (6) (एक) बोस संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) बोस संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 997/18/24]

(7) (एक) सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, बैंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, बैंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 998/18/24]

(8) (एक) टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 999/18/24]

(9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, सिंहभूम (पूर्व) का वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, सिंहभूम (पूर्व) के वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 1000/18/24]

(ख) (एक) भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 1001/18/24]

(ग) (एक) इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड (आईआरईएल), मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड (आईआरईएल), मुम्बई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 1002/18/24]

(10) (एक) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1003/18/24]

(11) (एक) परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1004/18/24]

(12) भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 की धारा 30 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.

1437(अ), जो दिनांक 27 जुलाई, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन भारत में निरीक्षकों के कर्तव्यों का निर्वहन करने और निरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निरीक्षकों के रूप में डॉ. अपर्णा शुक्ला, वैज्ञानिक, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली और डॉ. अविनाश कुमार, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र, गोवा को पदाभिहित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1005/18/24]

रेल मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव) : अध्यक्ष जी, श्री जितिन प्रसाद जी की ओर से, मैं आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं, हितलाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 2024 जो दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ ।

[Placed in Library, See No. LT 1006/18/24]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान, कपूरथला के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान, कपूरथला के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1007/18/24]

(2) (एक) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (i) Review by the Government of the working of the ITI Limited, Bengaluru, for the year 2023-2024.
- (ii) Annual Report of the ITI Limited, Bengaluru, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1009/18/24]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 37 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997:-

- (i) The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) (Fourth Amendment) Regulations, 2024 published in Notification No. F. No. RG-8/1/(9)/2021-B AND CS (1 AND 3) in Gazette of India dated 8th July, 2024 together with a Corrigendum thereto published in Notification No. RG-8/1/1(9)/2021-B AND CS (1 AND 3) dated 14th August, 2024.
- (ii) The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Sixth Amendment) Regulations, 2024 published in Notification No. F. No. RG-8/1/(9)/2021-B AND CS(1 AND 3) in Gazette of India dated 8th July, 2024.
- (iii) The Registration of Consumer Organisations (Amendment) Regulations, 2024 published in Notification No. RG-10/2/(1)/2023 [E-10742] in Gazette of India dated 25th July, 2024.
- (iv) The Rating of Properties for Digital Connectivity Regulations, 2024 published in Notification No. F.No. C-2/3/(2)/2021-QoS in Gazette of India dated 28th October, 2024.
- (v) The Standards of Quality of Service of Access (Wireline and Wireless) and Broadband (Wireline and Wireless) Service Regulations, 2024, published in Notification No. F.No.RG-17/3/2022-QoS in Gazette of India dated 5th August, 2024.
- (vi) The Telecommunication Mobile Number Portability (Ninth Amendment) Regulations, 2024, published in Notification No. F.No. RG-18/(6)/2023- NSL-

II in Gazette of India dated 14th March, 2024.

[Placed in Library, See No. LT 1010/18/24]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 56 of the Telecommunications Act, 2023:-

- (i) The Telecommunications (Administration of Digital *Bharat Nidhi*) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.530(E) in Gazette of India dated 30th August, 2024.
- (ii) The Telecommunications (Right of Way) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.576(E) in Gazette of India dated 17th September, 2024.
- (iii) The Telecommunications (Commercial Radio Operator Certificate of Proficiency to Operate Global Maritime Distress and Safety System) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.674(E) in Gazette of India dated 30th October, 2024.
- (iv) The Telecommunications (Amateur Services) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.675(E) in Gazette of India dated 30th October, 2024.

[Placed in Library, See No. LT 1011/18/24]

(4) A copy the Telecommunications (Removal of Difficulties) Order, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.3948(E) in Gazette of India dated 14th September, 2024 under sub-section (2) of Section 58 of the Telecommunications Act, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 1012/18/24]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 105 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) (संशोधन) मॉडल नियम, 2024 जो दिनांक 02 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 474(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (2) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग (समूह ?क? पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 25 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 588(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 1013/18/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. L. MURUGAN): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Prasar Bharati Recruitment Board (Procedure and Conduct of Business) Regulations, 2024 (Hindi and English Version) published in Notification No ? 10/001(2)/2024-PBRB in Gazette of India dated 13th September, 2024, under Section 34 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990.

[Placed in Library, See No. LT 1014/18/24]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दुबे) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (क) (एक) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
 - (दो) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT1015 /18/24]

- (ख) (एक) राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
 - (दो) राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 1016/18/24]

- (ग) (एक) एनएलसी इंडिया लिमिटेड, चेन्नई तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
 - (दो) एनएलसी इंडिया लिमिटेड, चेन्नई तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 1017/18/24]

- (घ) (एक) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों [खंड एक और खंड दो (भाग एक से चार)] के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों [खंड एक और खंड दो (भाग एक से चार)] का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 1018/18/24]

- (2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के प्रचालन निष्पादन के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2023 का संख्यांक 12) (निष्पादन लेखापरीक्षा) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1019/18/24]

- (3) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ 2936(अ) जो 24 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ?श्रेणी क अन्वेषण अभिकरण? के अंतर्गत मैसर्स भूशिल्प माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है ।
- (दो) का.आ 3054(अ) जो 31 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में खनिज स्वर्ण और किसी अन्य खनिज के संबंध में पूर्वक्षण और खनन प्रचालन किया जाना प्रस्तावित किया गया है ।
- (तीन) का.आ 3847(अ) जो 9 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्रीमती फरीदा एम. नायक, संयुक्त सचिव को ?? पदाभिहित अधिकारी?? के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

(चार) का.आ 3929(अ) जो 13 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ? श्रेणी क अन्वेषण अभिकरण? के अंतर्गत मैसर्स जीएमएमसीओ टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है ।

[Placed in Library, See No. LT 1020/18/24]

(4) अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 35 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ 3246(अ) जो 10 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित शासी निकाय और कार्यकारी समिति गठित करने के लिए अपतट क्षेत्र खनिज न्यास को स्थापित किया गया है ।

(दो) अपतट क्षेत्र खनिज न्यास नियम, 2024 जो 9 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 490 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) अपतट क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 जो 14 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 502 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) का.आ 3648(अ) जो 28 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 के प्रयोजनार्थ श्री विवेक कुमार वाजपेयी, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय को प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

(पांच) अपतट क्षेत्र प्रचालन अधिकार नियम, 2024 जो 16 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 646 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 1021/18/24]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

- (2) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1022/18/24]

12.04 hrs